सिलसिले में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, क्योंकि जो सबूत मिले थे उनसे अदालत में जुर्म साबित होने की संभावना बहुत कम थी ।

पद्मपुर की रेलवे आउट एजेन्सी

२७६ { **श्री प० ला० बाल्मीकि :**
श्री ओंकार लाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री गंगानगर जिले में पद्मपुर में एक आउट एजेन्सी खोलने के लिए टेण्डर मांगे गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने टेण्डर भेजे थे और उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग क्या रेट दिये थे;

(ग) क्या यह सच है कि ५ आने ८ पाई प्रति मन की दर का टेण्डर मंजूर कर लिया गया जब कि ३ आने से ५ आने प्रति मन तक की दर के टेण्डर नामंजूर कर दिये गये;

(घ) यदि हां, तो किस कारण;

(ङ) क्या रेलवे अधिकारियों को यह पता था कि श्रीगंगानगर और पद्मपुर के बीच माल ढोने की दर ढाई आने प्रति मन है;

(च) यदि हां, तो ५ आने ८ पाई की दर का टेण्डर क्यों मंजूर किया गया;

(छ) क्या रेलवे अधिकारियों को यह पता था कि पहला आउट एजेन्ट जिसका किराया ५ आने प्रति मन था समय-समय पर किराया कम कर के अर्थात् व्यापारियों को छूट देकर उन का माल ढोता था; और

(ज) यदि हां, तो इतने ऊंचे किराये का टेण्डर किस कारण से मंजूर किया गया ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) बयान सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६**]

(ग) जी हां । ३५ नये पैसे की दर मंजूर की गई थी और दो आने से लेकर पांच आने तक की कम दरें नामंजूर कर दी गई थीं ।

(घ) कुछ मामलों में कम दर वाले टेन्डर इस लिए नामंजूर किये गये क्योंकि इन दरों पर काम नहीं हो सकता था और दूसरे कुछ मामलों में टेन्डर देने वाले उपयुक्त नहीं समझे गये ।

(ङ) पद्मपुर और श्रीगंगानगर के बीच निर्धारित माल ढुलाई (cartage) ६ आने ६ पाई प्रति मन आती है । भाड़े की वास्तविक दर में कमी-बेशी होती रहती है । जिन दिनों काम कम होता है भाड़े की दर २ आने ६ पाई प्रति मन रहती है और जिन दिनों काम अधिक होता है, यह दर ५ आने प्रति मन हो जाती है ।

(च) आउट एजेंसी के ठेकेदारों को हर मौसम में नियमित रूप से माल पहुंचाने का प्रबन्ध करना होता है और ठीक ढंग पर दफ्तर रखने और स्टेशन से आउट एजेंसी तक माल ले जाने के लिए ऊपर से भी खर्च करना पड़ता है, इसलिए, माल ढुलाई की उनकी दर का चालू दर से कुछ अधिक होना अनुचित नहीं है ।

(छ) जी हां । यह छूट अनाधिकृत (unauthorized) थी और गंतव्य स्टेशन (destination stations) रकम के इस अन्तर को अवप्रभार (under charges) के रूप में वसूल कर रहे थे ।

(ज) भाग (छ) के उत्तर में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए सवाल नहीं उठता । उत्तर का भाग (च) भी देखिये ।

Medical Council Act, 1956

281. Shri H. N. Mukerjee: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the delay in announcing the date of enforcement of the Medical Council Act of 1956;

(b) whether he has received representations regarding hardships occasioned by such delay; and

(c) whether an early date of such enforcement has been decided upon?

The Minister of Health (Shri D. P. Karmarkar): (a) and (b). The reply is in the affirmative.